Form No. 5
Debts Recovery Tribunal Lucknow

600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow-226007
(Areas of Jurisdiction Part of Uttar Pradesh)
Summons for filing Reply & Appearance by publication

Ref:... **Date:...**
[Summons to Defendants Under Section 19(3) of the Recovery of Debts and Bank Ruptcy Act, 1993 read with Rule 12 and 13 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure And Rules) 1993]

Original Application No. 771 of 2017

STATE BANK OF INDIA
Versus .....Applicant

Ms Krishna Brick Field
.....Defendant/s

To,

1. Ms Krishna Brick Field, a partnership firm, Situated at Village: Kudi Gram, Kabatta, Meerut Road, near Kharkhuda, District-Hapur. through its partner/s

2. Smt Pinki Chaudhary, adult, W/o Sri Rajeev Chaudhary, Partner and Guarantor of Ms Krishna Brick Field, R/o House No 24, Madhuban Colony, Near Income Tax Office Meerut Road District-Hapur.

2. Sri Rajeev Chaudhary, adult S/o Sri Jogender Chaudhary, Partner and Guarantor of Ms Krishna Brick Field, R/o House No 24, Madhuban Colony, Near Income Tax Office Meerut Road District-Hapur.

3. Smt Sunita Sharma, adult, W/o Late Sri Krishna Kumar Sharma, Partner and Guarantor of Ms Krishna Brick Field, also Legal Heir of Partner and Guarantor Late Sri Krishna Kumar Sharma of M/s Krishna Brick Field, R/o House No 13, Madhuban Colony, Near Income Tax Office Meerut Road District-Hapur.

4. Sri Anuj Sharma, adult, S/o Late Sri Krishna Kumar Sharma, Partner and Guarantor of Ms Krishna Brick Field, also Legal Heir of Partner and Guarantor Late Sri Krishna Kumar Sharma of M/s Krishna Brick Field, R/o House No 13, Madhuban Colony, Near Income Tax Office Meerut Road District-Hapur.

5. Sri Ashish Sharma, adult, S/o Late Sri Krishna Kumar Sharma, Partner and Guarantor of Ms Krishna Brick Field, also Legal Heir of Partner and Guarantor Late Sri Krishna Kumar Sharma of M/s Krishna Brick Field, R/o House No 13, Madhuban Colony, Near Income Tax Office Meerut Road District-Hapur.

In the above noted application you are required to file reply in the Paper Book form in Two Sets along with documents and Affidavit (if any) personally or through your dully authorized agent or legal practitioner in the Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel / dully authorized agent after publication of the summons and thereafter to appear before the Tribunal on **31/10/2022 at 10.30 A.M.,** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Registrar
Debts Recovery Tribunal, Lucknow

प्रपत्र सं. आईएनसी–26

[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिये विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

तथा

सीआरएम सर्विसेज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड (CIN : U72900DL2001PTC113076) जिसका पंजीकृत कार्यालय ई–44/3, भू–तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज–II, नई दिल्ली–110020, भारत में है, के मामले में

.....आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' से ''महाराष्ट्र'' राज्य में, उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए सोमवार, 8 अगस्त, 2022 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) के अंतर्गत यह कंपनी क्षेत्रीय निदेशक के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के पतेः बी–2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

आवेदक के लिये तथा उनकी ओर से
सीआरएम सर्विसेज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड

स्थानः गुरूग्राम
तिथिः 31.08.2022

हस्ता/–
अमित गुप्ता
निदेशक (DIN 06662077)

कम्पनी का वर्तमान पंजीकृत पताः
ई–44/3, भू–तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज–II,
नई दिल्ली–110020, भारत

प्रपत्र सं. आईएनसी–26

प्ररूप संख्या आईएनसी–26
(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में) केन्द्रीय सरकार के समक्ष (क्षेत्रीय निदेशक), उत्तरी क्षेत्र
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के खंड (ए) के मामले में
और
प्रभात पावरलूम फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड
जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर 11 सेक्टर–24 फरीदाबाद 121001 स्थित है, के मामले में,

याचिकाकर्ता

आम जनता को ये सूचना दी जाती है कि कंपनी, केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए **तारीख 27 अगस्त, 2022** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के समग्र ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानान्तरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसका विरोध का कारण उल्लेखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110003** पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते है या सुपूर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें:

बी–41, महारानी बाग नई दिल्ली 110065

निदेशक मंडल के आदेश से
प्रभात पावरलूम फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/–
अशीष जालान
(निदेशक)

स्थानः– दिल्ली
दिनांकः– 31/08/2022

प्रपत्र सं. आरसी–2

अधिनियम के अध्याय–XXI के भाग I के तहत पंजीकरण के बारे में नोटिस देने वाला विज्ञापन
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374 (बी) और कंपनी (पंजीकरण के लिए अधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4 (1) के अनुवर्ती]

1.एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप–धारा (2) के अनुसरण में, एक आवेदन नई दिल्ली स्थित एनसीटी दिल्ली और हरियाणा के रजिस्ट्रार को इसके पंद्रह दिनों के बाद लेकिन इसके बाद तीस दिनों की समाप्ति से पहले किया जाना प्रस्तावित है कि कि **'भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी'**, एक पार्टनरशिप फर्म, शेयरों द्वारा लिमिटेड कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय–XXI के भाग–I के तहत पंजीकृत हो सकती है।

2. कंपनी के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:–
"इंजीनियरों और ठेकेदारों के व्यवसाय को आगे बढ़ाने और सड़क निर्माण के लिए भवन, पुल और सिविल कार्य आदि का अनुबंध लेने के लिए।"।

3. प्रस्तावित कंपनी के ड्राफ्ट मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की एक कॉपी का निरीक्षण कार्यालय– एससीओ–99, सेक्टर–17, हुडा जगाधरी, यमुना नगर, हरियाणा–135003 में किया जा सकता है।

4. एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति, रजिस्ट्रार–केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए), प्लॉट नंबर 6,7,8, सेक्टर 5, आईएमटी, मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड–122050 में और कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में एक प्रति के साथ इस नोटिस के प्रकाशन से इक्कीस दिनों के भीतर, लिखित रूप में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।

आवेदकों के नाम
1. श्री भू सिंह
2. श्री जग राम

दिनांकः 30 अगस्त, 2022

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

(धारा 82 Cr.P.C. देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त नाम **श्याम यादव** पुत्र **जीवक यादव** पता **म. नं. 508/7, महावीर का मकान गली नं. 7 अशोक मौहल्ला नांगलोई दिल्ली** ने एफआईआर संख्या **68/19 दिनांक 06.02.2019 धारा 302/आईपीसी एक्ट के तहत थाना नांगलोई दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उन्होंने किया है) और उन पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **श्याम यादव** मिल नही रहा है और मुझे सामाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **श्याम यादव** फरार हो गया है (या उक्त वारंट कि तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है) इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि एफआईआर संख्या **68/19 दिनांक 06.02.2019 धारा 302/आईपीसी एक्ट के तहत थाना नांगलोई दिल्ली** के उक्त **श्याम यादव** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **15.10.2022** को या उससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

DP/281/OD/2022
(Court Matter)

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड

पंजीकृत पता : 11वां तल, टावर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013,
सम्पर्क नं. (022) 61827414, (022) 61827375

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के अनुसार)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित रूप में जारी कर ऋणधारकों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय मांग सूचना तिथि से उस पर ब्याज तथा दंड ब्याज, चार्जेज, लागतों आदि के साथ नीचे वर्णित राशि के लिये टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

क्र. म.	ऋण खाता सं.	देनदार/सांविधिक उत्तराधिकारियों/सांविधिक प्रतिनिधियों का नाम	राशि एवं मांग सूचना की तिथि	कब्जा की तिथि
1	TECHHLO4910 0010074377	श्री रजनीश कुमार (ऋणधारक) तथा श्रीमती रागिनी कुमारी (सह–ऋणधारक)	14.6.2022 को रु. 1741243/–	29 अगस्त, 2022

सम्पत्ति की अनुसूचीः अचल सम्पत्ति फ्लैट नं.–ओ–1418ए, सुपर निर्मित एरिया माप 435 वर्ग फीट, 14वां तल, टावर ''ओक'' पैरामाउन्ट गोल्फ फॉरेस्ट, प्लॉट नं.–वीजीएच–ए साइट–सी हाउसिंग एक्स्टे. सेक्टर जेटा के सामने, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.–201301 का सभी भाग तथा हिस्सा।

तिथिः 31 अगस्त, 2022
स्थानः सूरजपुर

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
टाट कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लि.

WELGA FOODS LIMITED

REGD. OFFICE: Shiam Nagar, Budaun- 243601 U. P.
CIN : U15419UP1983PLC005918
E: marketing@welgafoods.com, **W:** www.welgafoods.com, T: 5832 224534, F: 5832 224561

सार्वजनिक सूचना

ई–मेल पते पंजीकरण, सम्पर्क विवरण एवं शेयरों के डिमैटीरीलाईजेसन हेतु शेयरधारकों के ध्यानार्थ

I. वर्ष 2022 के दौरान कोविड-19 महामारी को देखते हुए **कारपोरेट कार्य मंत्रालय (परिपत्र दिनांक 05.05.2020 साथ में पठित परिपत्रों दिनांक 08/04/20, 13/04/20 & 05/05/22)** के द्वारा सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ शेयरधारकों को भौतिक रूप में भेजने की छूट दी है और साथ में वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) की इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा आयोजन की भी अनुमति दी है। कोविड-19 महामारी को मद्देनजर रखते हुए कम्पनीज अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") एवं उसके अर्न्तगत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुपालन के कम्पनी अपनी उनतालीसवीं एजीएम विडियो कान्फ्रैसिंग ("वीसी")/अन्य आडियो विजुवल माध्यम ("ओएवीएम") द्वारा आयोजन की इरादा रखती है और उपरोक्त उदेश्य हेतु सभी शेयरधारकों/सदस्यों को सूचना भेजना प्रस्तावित है।

(a) हम एतद्द्वारा अपने सभी शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे कम्पनी से वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना एवं अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने ईमेल आईडीज एवं सम्पर्क नम्बर welgacs@gmail.com पर रविवार 4 सितम्बर, 2022 से पहले अपडेट करा लें। कृपया नोट करें कि सदस्यों को 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियाँ एजीएम से पहले अथवा बाद में नहीं भेजी जायेंगी।

II. **सेबी अधिसूचना दिनांक 8 जून, 2018 एवं कम्पनीज (प्रोसपैक्टस एवं प्रतिभूतियों का आवंटन) तीसरे संशोधन नियमन, 2018 दिनांक सितम्बर, 10, 2018 के अनुपालन में** कम्पनी सभी सार्वजनिक अपने सभी शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने शेयरों को डिमैटीरीलाइज करवा लें अन्यथा, एक निवेशक 1 अप्रैल, 2019 एवं 2 अक्टूबर, 2018 से ट्रांसफर डीड का उपयोग करके भौतिक रूप में रखे गये शेयरों को स्थानांतरण नहीं कर पायेगा। इन फिजिकल शेयरों का डिमैटीरीलाइज के बाद ही ट्रांसफर संभव हो पायेगा।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते विलगा फूड्स लिमिटेड
हस्ता०/–
ग्यान प्रकाश
प्रबन्ध निदेशक

स्थानः गुरूगाँव
तिथि: 24/08/2022

IndusInd Bank

पंजीकृत कार्यालयः 2401, जनरल थिम्मैया रोड (कैंटोमेंट), पुणे -411001
कन्ज्यूमर फाईनेंस डिवीजनः न्यू नंबर 34, जी.एन. चेट्टी रोड, टी. नगर, चेन्नई - 600017
राज्य कार्यालयः कार्यालय संख्या 14 और 15, ऊपरी भूतल, जयपुर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, रिद्धि सिद्धि चोराहा, गोपालपुरा बाईपास, मानसरोवर लिंक रोड, जयपुर -302018

मांग सूचना

(वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रतर्वन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत जारी सूचना)

एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि निम्नलिखित ऋणियों/जमानतदारों ने बैंक से उनके द्वारा प्राप्त निम्नलिखित ऋण सुविधाओं के पुनर्भुगतान में चूक की है और उक्त सुविधाओं को बैंक द्वारा गैर-निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि उन्हें सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत पंजीकृत डाक के माध्यम से उनके अंतिम ज्ञात पते पर जारी किए गए नोटिस बिना तामील के वापस लौट आए और इस तरह उन्हें इसके बारे में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है। नोटिस की स्थानापन्न तामील के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त ऋणियों, सह-ऋणी और/या उनके गारंटर (जहां लागू हो) को सलाह दी जाती है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया का भुगतान करें, ऐसा न करने पर वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधान के अनुसार आगे कदम उठाए जाएंगे और ऋणी का ध्यान अधिनियम की 13 की उप-धारा (13) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, कि ऋणी बिक्री, पट्टे या अन्य के माध्यम से बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना प्रतिभूत संपत्ति को स्थानांतरित करने के हकदार नहीं हैं।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या, ऋण राशि, ऋणी/सह–ऋणी/जमानतदार का नाम मांग सूचना की दिनांक/ बकाया राशि	प्रतिभूत आस्ति/सम्पत्ति का विवरण
1.	ऋण खाता संख्याः RDD05018M एवं RDD05019M ऋण राशिः रू.7,19,693/- एवं रू. 34,30,307/- क्रमशः मांग सूचना दिनांकः 22.08.2022 बकाया राशिः रूपये 49,30,912.82 दिनांक 22.08.2022 तक + आगे के ब्याज सहित। ऋणी– श्री शाहबाज केयर ऑफ गफ्फार खान सह-ऋणी– श्रीमती शबनम केयर ऑफ कालू खान, दोनों निवासी 35, जे.के. नगर जफ्फू खान की कोठी के पास, थोरियों की ढाणी, पाली रोड, जोधपुर, राजस्थान पिन कोड-342001	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते है जिसमें भूमि एवं भवन जो प्लॉट नं.35, खसरा नं. 185/1, ग्राम पाल, जिला-जोधपुर में स्थित, क्षेत्रफल 255.55 वर्गगज, सीमाएं– पूर्व- रोड, पश्चिम- प्लॉट नं. 34, उत्तर- रोड, दक्षिण- प्लॉट नं.36 साथ ही उक्त स्थान पर निर्मित भवन के साथ-साथ सभी सुविधाओं और रास्ते के अधिकार, जिसमें फिक्स्चर, फर्निचर और संलग्नक शामिल हैं।
2.	ऋण खाता संख्याः RDD05028M एवं RDD05029M ऋण राशिः रू.16,39,730/- एवं रू. 2,96,270/- क्रमशः मांग सूचना दिनांकः 22.08.2022 बकाया राशिः रूपये 24,28,739.77 दिनांक 22.08.2022 तक + आगे के ब्याज सहित। मृतक मूल ऋणी– स्व.श्री शेरू खान पुत्र अब्दुल खान सह-ऋणी एवं मृतक मूल ऋणी कानूनी वारिस- श्रीमती शीदा बानू पत्नी स्व. शेरू खान मृतक मूल ऋणी के कानूनी वारिस- श्रीमती मुमताज खान, पुत्री स्व. शेरू खान, दोनों निवासी प्लॉट नं. 199, वेस्ट सेक्टर ई, एम कॉर्प, वैशाली टाउनशिप स्कीम, ग्राम-पाल, जोधपुर, राजस्थान, पिनकोडः 342001	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते है जिसमें भूमि एवं भवन जो प्लॉट नं.199, खसरा नं. 51 व 52, सेक्टर-ई, वैशाली टाउनशिप स्कीम, ग्राम-पाल, जिला-जोधपुर में स्थित, क्षेत्रफल 1400 वर्गफीट, सीमाएं– पूर्व- प्लॉट नं. 199-ए का पूर्वी भाग, पश्चिम- प्लॉट नं.141, उत्तर- रोड, दक्षिण- प्लॉट नं.198 साथ ही उक्त स्थान पर निर्मित भवन के साथ-साथ सभी सुविधाओं और रास्ते के अधिकार, जिसमें फिक्स्चर, फर्निचर और संलग्नक शामिल हैं।
3.	ऋण खाता संख्याः RDG05058M एवं RDG05059M ऋण राशिः रू.630000/- एवं रू. 375000/- क्रमशः मांग सूचना दिनांकः 22.08.2022 बकाया राशिः रूपये 11,30,294.99 दिनांक 22.08.2022 तक + आगे के ब्याज सहित। ऋणी– श्री रविन्द्र सिंह केयर ऑफ करतार सिंह सह-ऋणी - सुश्री सुनिता देवी केयर ऑफ भगवान सिंह, दोनों निवासी- मकान नं.15, वार्ड नं.7, चक 7Z, ,जम्बेश्वर कॉलोनी, गंगानगर, राजस्थान, पिनकोडः 335001	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते है जिसमें भूमि एवं भवन जो पट्टा विलेख नं.8522 आवासीय प्लॉट नं.15, पूर्वमुखी,Sq.No.27, किला नं.11, चक7Z, तहसील व जिला- श्रीगंगानगर, राजस्थान-335001 में स्थित, क्षेत्रफल-25'X39'-6'', सीमाएं– पूर्व- रोड, पश्चिम- जवाहरलालजी की ढाणी, उत्तर- प्लॉट नं.16, दक्षिण- प्लॉट नं.14, साथ ही उक्त स्थान पर निर्मित भवन के साथ-साथ सभी सुविधाओं और रास्ते के अधिकार, जिसमें फिक्स्चर, फर्निचर और संलग्नक शामिल हैं।
4.	ऋण खाता संख्याः RJL05080M ऋण राशिः रू..4,21,960/- मांग सूचना दिनांकः 22.08.2022 बकाया राशिः रूपये 5,89,702.84 दिनांक 22.08.2022 तक + आगे के ब्याज सहित। ऋणी– श्री राजेश कुमार केयर ऑफ नारायणलाल सोनी सह-ऋणी - श्रीमती मीना देवी केयर ऑफ राजेश कुमार, दोनों निवासी- 181, गणेश गुवाड़ी, बुद्ध विहार, अलवर, राजस्थान, पिनकोडः 301001	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते है जिसमें भूमि एवं भवन जो फ्लैट नं. एल-48-104, ''ग्रीन पार्क'' का प्रथम तल, खसरा नं.1404, राधास्वामी सत्संग आश्रम के सामने, अलवर-भिवाड़ी, मेगा हाईवे, चिकनी, अलवर, राजस्थान-331001 में स्थित, क्षेत्रफल-550 वर्गफीट, सीमाएं– पूर्व- फ्लैट नं.एल48-103, पश्चिम- टॉवर एल-49, उत्तर- प्रवेश एवं फ्लैट नं.एल-48-101, दक्षिण- रोड भूतल साथ ही उक्त स्थान पर निर्मित भवन के साथ-साथ सभी सुविधाओं और रास्ते के अधिकार, जिसमें फिक्स्चर, फर्निचर और संलग्नक शामिल हैं।
5.	ऋण खाता संख्याः RDG05029M ऋण राशिः रू. 4,50,000/- मांग सूचना दिनांकः 23.08.2022 बकाया राशिः रूपये 5,34,864.86 दिनांक 22.08.2022 तक + आगे के ब्याज सहित। ऋणी– श्री जगतार सिंह केयर ऑफ दिलेर सिंह सह-ऋणी - श्रीमती सरबजीत कौर केयर ऑफ सुखचैन सिंह दोनों निवासी- वार्ड नं.8, 32 एफ, आर्यन, गंगानगर, राजस्थान, पिनकोडः 335027	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते है जिसमें भूमि एवं भवन जो पट्टा नं.62, बुक नं.15, आवासीय प्लॉट उत्तरमुखी, गांव आर्यन (32-एफ), ग्राम पंचायत-आर्यन, पंचायती समिति श्री करणपुर, तहसील-श्री करणपुर, जिला श्री गंगानगर-335027 (राजस्थान) में स्थित, क्षेत्रफल-22'X92'=वर्गफीट, सीमाएं–पूर्व-मक्खनसिंह का मकान, पश्चिम- शमशेरसिंह का मकान, उत्तर- रोड, दक्षिण-राजपालसिंह का मकान साथ ही उक्त स्थान पर निर्मित भवन के साथ-साथ सभी सुविधाओं और रास्ते के अधिकार, जिसमें फिक्स्चर, फर्निचर और संलग्नक शामिल हैं।
6.	ऋण खाता संख्याः RJJ05119M ऋण राशिः रू. 35,00,000/- मांग सूचना दिनांकः 23.08.2022 बकाया राशिः रूपये 35,18,940.52 दिनांक 23.08.2022 तक + आगे के ब्याज सहित। ऋणी– श्री जितेन्द्र भटनागर केयर ऑफ श्यामबिहारी सह-ऋणी - श्रीमती निशा भटनागर कौर केयर ऑफ राकेश कुमार भटनागर दोनों निवासी- वार्ड नं.20 किसान मार्ग, टोंक फाटक, लालकोठी, गांधी नगर, जयपुर, राजस्थान, पिनकोडः 302015	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते है जिसमें भूमि एवं भवन जो प्लॉट नं.20, पश्चिममुखी, स्कीम-रूपारामपुरा, किसान मार्ग, जयपुर, राजस्थान में स्थित, क्षेत्रफल-120 वर्गगज, फ्लैट नं. जी-1, भूतल, क्षेत्रफल-1080 वर्गफीट सीमाएं–पूर्व-प्लॉट नं.20 का पूर्वी भाग, पश्चिम- किशोरीलाल का मकान, उत्तर- प्लॉट नं.21, दक्षिण-20 फीट रोड साथ ही उक्त स्थान पर निर्मित भवन के साथ-साथ सभी सुविधाओं और रास्ते के अधिकार, जिसमें फिक्स्चर, फर्निचर और संलग्नक शामिल हैं।
7.	ऋण खाता संख्याः RPP05005M ऋण राशिः रू. 18,00,000/- मांग सूचना दिनांकः 23.08.2022 बकाया राशिः रूपये 22,09,074.57 दिनांक 23.08.2022 तक + आगे के ब्याज सहित। ऋणी– श्री असरार खान केयर ऑफ हबीबशाह खान सह-ऋणी - श्रीमती फोजिया परवीन केयर ऑफ मोहम्मद खान, दोनों निवासी- के-1224, संजय नगर, भट्टा बस्ती, बी-ब्लॉक-3 शास्त्री नगर, जयपुर, राजस्थान, पिनकोडः 302001	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते है जिसमें भूमि एवं भवन जो खसरा नं.597/2, 612/2, 615/2, 616/1 एवं 617/2 गांव रामचन्द्रपुरा, टोंक रोड से गोनेर रोड, तहसील-सांगानेर, जयपुर, राज., में स्थित, क्षेत्रफल-6364.24वर्गगज, फ्लैट/युनिट नं.521, ''आशीष हाइट्स'' का पंचम तल, क्षेत्रफल-852 वर्गफीट (बिल्टअप एरिया) सीमाएं– पूर्व-30फीट चौड़ी रोड, पश्चिम- खसरा नं.612/1 की भूमि, उत्तर-30 फीट चौड़ी रोड, दक्षिण-20 फीट रोड साथ ही उक्त स्थान पर निर्मित भवन के साथ-साथ सभी सुविधाओं और रास्ते के अधिकार, जिसमें फिक्स्चर, फर्निचर और संलग्नक शामिल हैं।
8.	ऋण खाता संख्याः RPP05067M ऋण राशिः रू. 5,31,313/- मांग सूचना दिनांकः 23.08.2022 बकाया राशिः रूपये 6,71,535.10 दिनांक 22.08.2022 तक + आगे के ब्याज सहित। ऋणी– श्री/श्रीमती/सुश्री पार्वती केयर ऑफ नेतराम सैन निवासीः गांव-बोसारिया, तहसील-उनियारा, टोंक, राजस्थान, पिनकोड-304024 सह-ऋणी - श्री/श्रीमती/सुश्री धर्मेन्द्र सैन निवासी- 29-ए, गोपालपुरा, अयोध्या नगर विस्तार, बाईपास, जयपुर, राजस्थान, पिनकोड-302001	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते है जिसमें भूमि एवं भवन जो आवासीय ग्रुप हाउसिंग प्लॉट (मुख्यमंत्री जनआवास योजना के अन्तर्गत) खसरा नं.62/1, 62/402, 62/403, ग्राम-नरोत्तमपुरा, तहसील-सांगानेर, जयपुर, राजस्थान में स्थित, क्षेत्रफल-8715 वर्गमी., फ्लैट नं.616, छठा तल, ब्लॉक बी, क्षेत्रफल-350.30 वर्गफीट, सीमाएं– पूर्व- अन्य भूमि, पश्चिम- अन्य भूमि व पब्लिक रोड, उत्तर-पब्लिक रोड, दक्षिण-अन्य भूमि साथ ही उक्त स्थान पर निर्मित भवन के साथ-साथ सभी सुविधाओं और रास्ते के अधिकार, जिसमें फिक्स्चर, फर्निचर और संलग्नक शामिल हैं।
9.	ऋण खाता संख्याः RPP05115M / ऋण राशिः रू. 34,40,000/- मांग सूचना दिनांकः 23.08.2022 बकाया राशिः रूपये 43,83,564.50 दिनांक 23.08.2022 तक + आगे के ब्याज सहित। ऋणी– श्री/श्रीमती/सुश्री घनश्याम केयर ऑफ श्री नारायण गुर्जर सह-ऋणी - 1.श्री/श्रीमती/सुश्री रवि केयर ऑफ घनश्याम गुर्जर, 2.श्री/श्रीमती/सुश्री राधादेवी केयर ऑफ शंकरलाल, निवासी-बी-171, रविन्द्रनाथ टैगोर स्कूल के पास, जनता कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान, पिनकोड-302004	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते है जिसमें भूमि एवं भवन जो प्लॉट नं.60, कृष्णा वाटिका-ए, आगरा रोर्ड, जयपुर, राजस्थान में स्थित, क्षेत्रफल-132.78 वर्गगज, सीमाएं– पूर्व- प्लॉट नं.61, पश्चिम- पब्लिक रोड, उत्तर-प्लॉट नं.60-ए, दक्षिण-प्लॉट नं.59 साथ ही उक्त स्थान पर निर्मित भवन के साथ-साथ सभी सुविधाओं और रास्ते के अधिकार, जिसमें फिक्स्चर, फर्निचर और संलग्नक शामिल हैं।
10.	ऋण खाता संख्याः RPP05250M ऋण राशिः रू. 5,35,500/- मांग सूचना दिनांकः 23.08.2022 बकाया राशिः रूपये 6,60,868.44 दिनांक 22.08.2022 तक + आगे के ब्याज सहित। ऋणी– श्री/श्रीमती/सुश्री प्रदीप कुमार शर्मा केयर ऑफ हजारीलाल सह-ऋणी - श्री/श्रीमती/सुश्री निर्मला शर्मा केयर ऑफ प्रदीप कुमार शर्मा निवासी- वीपीओ-रामगढ, तहसील-महवा, दौसा, राजस्थान, पिनकोड-321608	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते है जिसमें